न्यूज़ टुडे

पूर्वव्यापी कराधान (Retrospective Tax) से संबंधित अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं

- सरकार ने अगस्त, 2021 में 28 मई, 2012 से पूर्व हुए लेनदेनों के लिए **पूर्वव्यापी कर संबंधी मांगों को वापस लेने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया था।**
- नए आयकर (31वां संशोधन) नियम, 2021 प्रभावित करदाताओं द्वारा अपने पूर्वव्यापी कर मामलों के निराकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं।
  - नियम यह निर्दिष्ट करते हैं कि **प्रभावित करदाताओं को भविष्य के दावों के लिए भारत सरकार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।** साथ ही, किसी भी न्यायाधिकरण/न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे या कार्यवाही को वापस लेना होगा।
  - **सरकार द्वारा इन मामलों में उठाई गई मांगों या दावों को निरस्त कर दिया जाएगा।** इसके अतिरिक्त, कंपनियों द्वारा नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के उपरांत उनसे एकत्र की गई राशि को उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

- पूर्वव्यापी कराधान **किसी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं और सौदों पर कर आरोपित करने के लिए नियम पारित करने** की अनुमति प्रदान करता है। इसमें कानून पारित होने की तिथि से पूर्व के समय से कंपनियों पर करारोपण किया जाता है।
  - इसे वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया था। यह **भारत में स्थित परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से सृजित होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर की मांग में वृद्धि के लिए आयकर विभाग को सशक्त बनाता है।**
  - इस कराधान–विधि का वोडाफोन, केयर्न एनर्जी, वेस्टग्लोब, रिसेट होल्डिंग्स आदि कंपनियों से संबंधित 17 मामलों में उपयोग किया गया था।

प्रधान मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM–U) 2.0 का शुभारंभ किया

- SBM-U 2.0 (वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26) का लक्ष्य SBM के दौरान प्राप्त किए गए स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से अर्जित परिणामों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही, शहरी भारत को 'स्वच्छता' के अगले स्तर पर ले जाने के लिए इसी उत्साह के साथ गति को बनाए रखना है।
- **SBM-U 2.0 के तहत प्रमुख घटक:**
  - ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासित आबादी की सेवा के लिए निम्नलिखित के माध्यम से उनकी स्वच्छता सुविधाओं तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना:
    - 3.5 लाख से अधिक **व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण** करना।

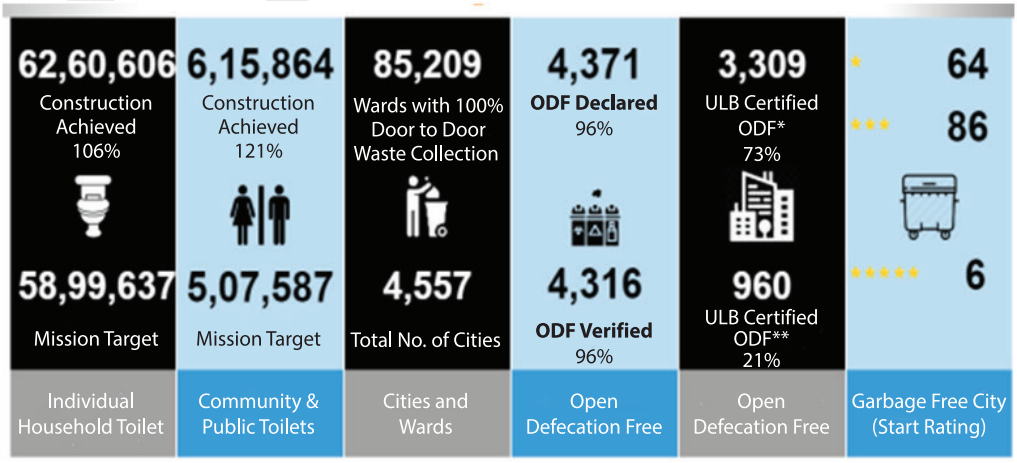

    - 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में **पूर्ण तरल अपशिष्ट** प्रबंधन (प्रस्तुत किया गया नया घटक) सुनिश्चित करना।
  - स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत स्रोत पृथक्करण पर अधिक बल दिया जाएगा।
    - एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही, **सामग्री रिकवरी सुविधा केंद्रों और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं** की स्थापना की जाएगी।
    - भवन–निर्माण और ध्वंस संबंधी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
    - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शहरों और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यांत्रिक सफाई कर्मचारी नियोजित किए जाएंगे।
    - सभी पुरानी डंप साइट्स (खंतियों/कूड़े का विशाल ढेर) का उपचार किया जाएगा।
  - सभी सांविधिक शहर कम से कम ओ.डी.एफ.+ (जल आपूर्ति, रखरखाव और स्वच्छता युक्त शौचालय); तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर ओ.डी.एफ.++ (मलयुक्त गाद और सेप्टेज प्रबंधन युक्त शौचालय) का दर्जा प्राप्त कर लेंगे।
  - **स्वच्छता और अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों का कल्याण:** व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण व सुरक्षा किट प्रदायगी, सरकारी कल्याण योजनाओं के साथ संबद्धता, क्षमता निर्माण आदि।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के बारे में

मिशन के अग्रलिखित उद्देश्य थे: सभी सांविधिक शहरों में खुले में शौच करने की प्रथा का उन्मूलन; सभी सांविधिक कस्बों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का शत प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन तथा जन आंदोलन के माध्यम से व्यापक व्यवहार परिवर्तन करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF) की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो परिसंपत्तियां वित्तीय स्थिरता के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं

- अपनी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report) के भाग के रूप में, IMF ने क्रिप्टो पारितंत्र से **वित्तीय स्थिरता के समक्ष अवसरों और चुनौतियों का आकलन किया है।**
  - क्रिप्टो पारितंत्र में **विनिमय, वॉलेट, माइनर और स्टेबलकोइंस उपयोगकर्ता** शामिल होते हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी **डिजिटल या आभासी मुद्राएं** होती हैं। इनमें **एन्क्रिप्शन तकनीकों** का उपयोग इकाइयों के सृजन को विनियमित करने और निधियों के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। इसके परिचालन में केंद्रीय बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
- क्रिप्टो परिसंपत्तियों का कुल बाजार मूल्य वर्ष 2020 की शुरुआत से 10 गुना बढ़कर **वर्तमान में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।**
- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**
  - **अवसर:** सीमा पार से भुगतान सहित **त्वरित और आसान भुगतान;** नवोन्मेषी वित्तीय सेवाओं तक त्वरित पहुँच; विश्व के पूर्ववर्ती "बैंक रहित" भागों आदि तक समावेशी पहुंच।
  - **पहचाने गए जोखिम:** वित्तीय अस्थिरता (अत्यंत अस्थिर प्रकृति); **उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी** (अपर्याप्त प्रकटीकरण और निरीक्षण); धन शोधन एवं आतंकवाद का वित्तपोषण आदि।
- **भारत में क्रिप्टोकरेंसी**
  - ज्ञातव्य है कि मई 2020 में, **उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक सर्कुलर (वर्ष 2018 में) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।** इस सर्कुलर में सभी बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी में विनिमय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
  - हाल ही में, सरकार ने **"क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021"** प्रस्तुत करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का निर्माण और साथ ही, भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसियों को प्रतिबंधित किया जाएगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन व नदी डॉल्फ़िन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए

	प्रमुख प्रावधान
पारिस्थितिकी पर्यटन हेतु दिशा–निर्देश	○ ये दिशा–निर्देश वन, वन्यजीव क्षेत्रों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में संधारणीय पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए लागू होंगे। ➢ **पारिस्थितिकी पर्यटन** (Ecotourism) **से तात्पर्य प्राकृतिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी पूर्ण यात्रा** से है। इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। इसमें ज्ञान एवं समझ विकसित करने के प्रयास भी शामिल हैं। ○ ये दिशा–निर्देश **पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों की पहचान, क्षेत्रीकरण और एक पर्यावरण अनुकूल पर्यटन योजना के निर्माण** पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ○ देशज सामग्री के संधारणीय उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा। ○ प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में एक फाउंडेशन का गठन और राजस्व को स्थानीय समुदायों के साथ साझा किया जाएगा। ○ जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएंगे।
गंगा और सिंधु नदी डॉल्फ़िन, संबद्ध जलीय जीवों और अधिवास स्थलों की निगरानी के लिए फील्ड गाइड	○ असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में सामंजस्यपूर्ण तरीके से डॉल्फ़िन गणना प्रक्रिया हेतु एक मानकीकृत निगरानी प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। ➢ प्रोटोकॉल में गंगा डॉल्फ़िन की आबादी की प्रत्यक्ष अवलोकन आधारित निगरानी (visual monitoring) शामिल है। ○ **डॉल्फ़िन के बारे में:** ➢ डॉल्फ़िन शीर्ष स्तर का एक जलीय शिकारी जीव है और यह जलीय प्रणाली के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखता है। ➢ **गंगा डॉल्फ़िन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है।** ➢ **गंगा और सिंधु नदी डॉल्फ़िन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ** (IUCN) **की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड (लुप्तप्राय)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रधान मंत्री ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation: AMRUT/अमृत) 2.0 का शुभारंभ किया

- अमृत 2.0 जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने, जल **निकायों का पुनः जीर्णोद्धार करने, जलभृतों का बेहतर प्रबंधन करने तथा उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के लिए अमृत की प्रगति की दिशा में कार्य करेगा।** इससे जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- **अमृत 2.0 की प्रमुख विशेषताएं**
  - लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के सभी घरों में **जल की आपूर्ति का 100% कवरेज प्राप्त करना।**
  - अमृत योजना के अंतर्गत आने वाले 500 शहरों से आगे बढ़ते हुए 1 लाख से अधिक आबादी वाले **सभी 4,372 शहरों को सम्मिलित करते हुए, 100% शहरी भारत को कवर करना शामिल** है।
  - **सार्वजनिक निजी भागीदारी** (Public Private Partnership- PPP): दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों हेतु यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी कुल परियोजना निधि आवंटन के न्यूनतम 10 प्रतिशत को PPP परियोजनाओं के लिए अपनाएं।
  - **जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था:** शोधित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए **शहर जल संतुलन योजना** (City Water Balance Plan) का निर्माण करना।
  - **जल का समान वितरण,** अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और जल निकायों के मानचित्रण को सुनिश्चित करने के लिए **शहरों में पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा।**
- अमृत योजना को **अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान देने के लक्ष्य के साथ** आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु **जल की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, उद्यानों का विकास** आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना था।

अन्य सुर्खियाँ

पुर्तगाली भाषा के देशों का समुदाय (CPLP)

- हाल ही में, **भारत CPLP में सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है।**
- CPLP को **लूसोफोन कॉमनवेल्थ** के रूप में भी जाना जाता है। यह **चार महाद्वीपों में अवस्थित लूसोफोन राष्ट्रों का एक संघ है, जहां पुर्तगाली को एक आधिकारिक भाषा** के रूप में प्रयोग किया जाता है।
  - **इस समुदाय के सदस्य देशों में शामिल हैं:** ब्राजील, अंगोला, काबो वर्डे, गिनी–बिसाऊ, इक्वेटोरियल गिनी, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, साओ टोम और प्रिंसिपे तथा तिमोर–लेस्ते।
- CPLP के प्रमुख उद्देश्यों में **इसके सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और राजनयिक सहयोग को बढ़ावा देना;** सभी क्षेत्रों में सहयोग को सुनिश्चित करना तथा **पुर्तगाली भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना** शामिल हैं।

वयो नमन कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (1 अक्टूबर) के अवसर पर **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** ने किया था।
- इस अवसर पर **निम्नलिखित पहलें आरंभ की गईं हैं:**
  - वृद्धजनों की सहायता के लिए 14567 नामक एक विशेष **हेल्पलाइन नंबर।**
  - वृद्धजनों की देखभाल के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन** (SAGE) **पोर्टल।**
  - वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदाताओं से जोड़ने हेतु **सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म–सम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल** (SACRED)।

जल जीवन मिशन (JJM)

- वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के उपरांत से अब तक **5 करोड़ से अधिक परिवारों को नल आधारित जल कनेक्शन** प्रदान किया जा चुका है।
- JJM को **जल शक्ति मंत्रालय** के अधीन आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य वर्ष **2024 तक प्रत्येक घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन** (Functional Household Tap Connection: FHTC) प्रदान करना है।
  - JJM को एक **विकेन्द्रीकृत, मांग–संचालित और समुदाय–प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित** किया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायतों और/या इसकी उप–समितियों की अग्रणी भूमिका रही है।
- फरवरी 2021 में **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने JJM (शहरी)** की घोषणा की थी। इसके तहत सभी 4,378 सांविधिक शहरों के सभी घरों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से **जल की आपूर्ति की जाएगी।**

वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया गया

- यह एकल बिंदु पहुंच प्रणाली प्रदान करने हेतु संचालित एक पहल है। यह पोर्टल **देश के आर्द्रभूमि स्थलों, परियोजनाओं, पहलों और प्रशिक्षणों से संबंधित** सूचनाओं के प्रसार को संश्लेषित करने में सहायता करेगा।
  - इसे **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया है।
- **रामसर कन्वेंशन** के तहत 46 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
  - हाल ही में, हरियाणा से **भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान** तथा गुजरात से **थोल झील वन्यजीव अभयारण्य एवं वाघवाना आर्द्रभूमि** को रामसर सूची में शामिल किया गया है।

सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत (GI) टैग

- हाल ही में, **महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग** की सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है।
- यह GI टैग इसके **विशिष्ट मीठे स्वाद, इसे काटने पर आंसू न निकलने आदि जैसे कारकों के साथ–साथ इसके औषधीय गुणों** को विश्व भर में पहचान दिलाने में मदद करेगा।
  - यह मनुष्यों में **प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है।** साथ ही यह **अनिद्रा, रक्त की सफाई,** रक्तचाप और गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रभाव को भी कम करने में मदद करता है।
- GI उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है, **जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण उनमें अनूठी विशेषताओं एवं गुणों का समावेश होता है।**
  - GI उन **बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है, जो पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं।**

यूरोनेमा अफ्रीकनम बोर्ज (Uronema Africanum Borge: UAB)

- हाल ही में, मद्रास विश्वविद्यालय और चेन्नई स्थित प्रेसीडेंसी कॉलेज के शोधकर्ताओं ने UAB को पृथक कर लिया है। ध्यातव्य है कि इसे **प्लास्टिक शीट के लिए संभावित जैव निम्नीकरणीय अभिकारक** के रूप में उपयोग किया जाता है।
- UAB वस्तुतः **सूक्ष्म शैवालों** की एक प्रजाति है। **यह पॉलीमर (बहुलक) शीट के साथ अभिक्रिया करने तथा उसे एक सरल एकलक (monomers) में खंडित करने हेतु विभिन्न प्रकार के कोशिकाबाह् बहुशर्करा, एंजाइम, विषाक्त पदार्थ** (जैसे साइनो–टॉक्सिन) व हार्मोन उत्पन्न करता है।
  - UAB आमतौर पर **अफ्रीका, एशिया और यूरोप** में पाए जाते हैं।
- यह **मौजूदा मस्मीकरण, भूमि–मराव एवं पुनर्चक्रण** के रूप में प्लास्टिक के निपटान की प्रक्रिया के स्थान पर एक **सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल प्रक्रिया** प्रदान करता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

माउंट त्रिशूल, उत्तराखंड

- हाल ही में, भारतीय नौसेना का एक पर्वतारोही दल माउंट त्रिशूल पर चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन में फंस गया था।
- माउंट त्रिशूल **पश्चिमी कुमाऊं (ऊंचाई 7120 मीटर) में स्थित तीन हिमालयी शिखरों का एक समूह है,** जो भगवान शिव के त्रिशूल के सदृश्य है।
- यह उत्तराखंड (बागेश्वर जिले) के मध्य भाग में स्थित है तथा नंदा देवी अभयारण्य का भी कुछ क्षेत्र इसके साथ संलग्न है।

अजरबैजान

- हाल ही में ईरान द्वारा अजरबैजान की सीमाओं पर एक बड़े सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है।
- **अजरबैजान** (राजधानी: बाकू) **काकेशस पर्वतीय क्षेत्र** में अवस्थित एक तेल समृद्ध राष्ट्र है। इसकी पश्चिमी सीमा पर कैस्पियन सागर तथा इसकी भूमि सीमा के निकट रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की और ईरान जैसे देश स्थित हैं।
  - नागोर्नो–काराबाख **आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य एक विवादित क्षेत्र रहा है।**
- **कुरा नदी अजरबैजान स्थित सबसे बड़ी नदी है।** यह कैस्पियन सागर में विलीन होती है। यहां स्थित **माउंट बजरदुजु डागी** इसका सर्वोच्च शिखर है।
- **नखचिवान** अज़रबैजान का एक बहिःक्षेत्र (exclave) है। यह अर्मेनियाई भूमि गलियारे के माध्यम से अज़रबैजान की मुख्य भूमि से (35 किमी दूर) पृथक है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी